संदर्भ सं. राबैं.डीएफ़आईबीटी/1815-2254/डीएफ़आईबीटी-67/2024-25

परिपत्र सं. 97/डीएफ़आईबीटी-02/2024

17 मई 2024

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/ प्रिय महोदय,

ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के तहत सहायता - एचटीएस-वीसैट, दोहरी एलटीई और एसडी वैन प्रौद्योगिकियां

1. पृष्ठभूमि

कनेक्टिविटी, वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, दक्षता और पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. कनेक्टिविटी की कमी या अनियमित कनेक्टिविटी बैंकों के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में सुचारू रूप से काम करने में एक बड़ी बाधा होती है. अच्छी कनेक्टिविटी से वित्तीय संस्थानों को अब तक सेवाओं से वंचित रहे स्थानों में भी वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी. आधुनिक बैंकिंग में, डिजिटल/ ऑनलाइन बैंकिंग को सक्षम बनाने, मोबाइल भुगतान करने और वित्तीय समावेशन की सहायता करने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है. वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक लोगों के पहंचने के तरीके के नए रूप के माध्यम से कनेक्टिविटी वित्तीय सेवाओं में नवोन्मेशन, समावेशन और दक्षता के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है.

1.2 बैंकिंग परिचालनों के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ-साथ कनेक्टिविटी के संबंध में हुए हाल के नवोन्मेषनों से, अंतिम मील तक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बढ़ी हुई बैंडविड्थ के साथ एक स्थिर कनेक्टिविटी अनिवार्यता बन जाती है. निर्बाध परिचालन के लिए वर्तमान बैंकिंग परिचालनों को हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है.

1.3. नाबार्ड, नेटवर्क ग्रे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सौर ऊर्जा पर संचारित और गैर-सौर संचालित वीसैटों, दोनों के लिए पूंजी व्यय सहायता (कैपेक्स) के रूप में एफआईएफ के तहत सहायता प्रदान कर रहा है. दिनांक 16 अक्टूबर 2016 के परिपत्र सं. 8697-8705/डीएफआईबीटी-23/2016-17 के माध्यम से जारी एफआईएफ नीति के अनुसार सहायता प्रदान किए जा रहा वीसैट, वाइड बीम आधारित संचार प्रणाली पर आधारित था. इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, एचटीएस आधारित वीसैट संचार प्रणाली को एक सुधार के प्रवेश करने का निर्णय लिया गया है.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बां (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0024 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0150 • ई मेल: dfibt@nabard.org
Department of Financial Inclusion and Banking Technology
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0024 • Fax: +91 22 2653 0150 • E-mail: dfibt@nabard.or

2. उच्च प्रवाह क्षमता उपग्रह (एचटीएस) – वीसैट के फ़ायदे

• **बढ़ी हुई बैंडविड्थ:** स्पॉट बीमों की बड़ी संख्या के कारण एचटीएस प्रणाली बढ़ी हुई बैंडविड्थ क्षमता उपलब्ध कराती है जिससे अनेक उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा का एक साथ संचार संभव होता है.

• **उच्चतर प्रवाह क्षमता :** एचटीएस वीसैट प्रणाली उल्लेखनीय रूप से उच्चतर प्रवाह क्षमता प्रदान करती है जिससे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए तेज़ी और अधिक कुशलता से डेटा प्रसारण की क्षमता प्राप्त होती है.

• **बेहतर दक्षता:** एचटीएस वीसैट की उच्चतर क्षमता, विवाद अनुपात (कंटेंशन रेशियो) को कम करती है, जिससे उच्चतम उपयोग समय के दौरान भी अधिक एकसमान और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित होता है.

• **कम विलंबता:** एचटीएस उपग्रह अक्सर पृथ्वी की मध्यम कक्षाओं में रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, इनमें परंपरागत भूस्थिर वीसैट प्रणाली की तुलना में कम विलंबता रहती है, जो वास्तविक समय वाले अनुप्रयोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है.

• **व्यापक कवरेज:** एचटीएस सिस्टम व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं, जिससे वे उन दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों को भी जोड़ने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं जिन्हें परंपरागत वीसैट से जोड़ पाना संभव नहीं हो पाता.

3. योजना के विवरण

3.1 **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ अथवा अल्पसेवित क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार कॉम्बो के रूप में अथवा मद-वार, एचटीएस-वीसैट, दोहरी एलटीई और एसडी वैन प्रौद्योगिकियों की संस्थापना के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करके अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है.

3.2 **पात्र संस्थाएँ**

3.2.1 **नई इकाइयों के लिए**

पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (अर्थात् हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों) और देश के बाकी हिस्सों में टियर 5/ टियर 6 वाले केंद्रों, जहां कनेक्टिविटी अनियमित रहती है और जिन्होंने पहले वीसैट के लिए एफआईएफ के तहत सहायता प्राप्त नहीं की है, के सभी बैंक एसडी वैन अथवा डुअल एलटीई के साथ कॉम्बिनेशन में एचटीएस वीसैट/ एचटीएस वीसैट की संस्थापना हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.

3.2.2 **मौजूदा वीसैट की प्रतिस्थापना**

वे ग्रामीण सहकारी बैंक (राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनमें पहले से ही वाइड बीम आधारित वीसैट स्थापित है और पहले लगाए गए वे उपकरण काम नहीं कर रहे हैं वे एचटीएस-वीसैट में परिवर्तित कर सकते हैं.

3.2.3 ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एचटीएस वीसैट को छोड़कर एसडी वैन अथवा डुअल एलटीई के लिए सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी.

3.3 **सहायता की सीमा**

प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिए सहायता की सीमा निम्नानुसार होगी :

मॉडल	**प्रौद्योगिकी**	**एफआईएफ के तहत सहायता**	**पात्र घटक**
I	एसडी-वैन/ डुअल एलटीई के साथ कॉम्बो में एचटीएस-वीसैट	₹ 3,00,000 या लागत का 90%, जो भी कम हो	पूंजीगत लागत + परिचालन लागत
II	केवल एचटीएस वीसैट	₹ 2,65,500 या खर्च की गई लागत का 90%, जो भी कम हो	पूंजीगत लागत + परिचालन लागत
III	केवल 4जी डुअल एलटीई	₹ 34,500 या खर्च की गई लागत का 90%, जो भी कम हो	परिचालन लागत
IV	केवल एसडी वैन	₹ 34,500 या खर्च की गई लागत का 90%, जो भी कम हो	पूंजीगत लागत

नोट–

i) सभी मामलों में बैंडविड्थ की उपलब्धता “2 एमबीपीएस बर्स्ट तक और उससे अधिक” होनी चाहिए.

ii) बैंक एक शाखा के लिए उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए मॉडल सं. I, II, III और IV में से किसी एक मॉडल में ही सहायता का विकल्प चुन सकते हैं.

iii) एचटीएस-वीसैट के लिए अर्थिंग पिट और केजिंग आदि की प्रारंभित स्थापना लागतों को पूंजीगत व्यय के भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है.

iv) परिचालन व्यय सहायता केवल एक वर्ष के लिए ही वैध है.

3.4 **परिचालन अवधि** : यह योजना 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2027 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए परिचालित होगी.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बां (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0024 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0150 • ई मेल: dfibt@nabard.org
Department of Financial Inclusion and Banking Technology
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0024 • Fax: +91 22 2653 0150 • E-mail: dfibt@nabard.or

3.5 **मंजूरी और दावा प्रक्रिया**

क) बैंकों को अनुबंध I के अनुसार नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दावा प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा (**अनुबंध I-अ-** उन शाखाओं की सूची जहां वे एचटीएस वीसैट/ एसडी वैन अथवा डुअल एलटीई के साथ सम्मिश्रण में एचटीएस वीसैट स्थापित करने के इच्छुक हैं और **अनुबंध I-आ**- उन उत्पादों का विवरण जिनके लिए सहायता मांगी गई है).

ख) बैंकों को निर्धारित प्रारूप **(अनुबंध I अ)** में अपने तकनीकी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करवाकर इस आशय का वचन-पत्र देना होगा कि जिस शाखा में कनेक्टिविटी के लिए सहायता मांगी जा रही है, वहां नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब है और उस क्षेत्र में यथोचित 4जी और फाइबर कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं.

ग) नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, सहायता मांगने वाले बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शून्य/ कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में एचटीएस वीसैट कनेक्टिविटी के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करेगा.

घ) नाबार्ड के डीडीएम/ क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नमूना आधार पर शाखाओं का दौरा करेंगे.

ङ) बैंकों को क्रमशः **अनुबंध** II और **अनुबंध** III के अनुसार दावा और परियोजना पूर्ति रिपोर्ट (पीसीआर) प्रस्तुत करनी होगी.

च) बैंकों द्वारा सभी बिलों/ रसीदों को भविष्य में लेखापरीक्षा और निरीक्षण से संबंधित किसी भी आवश्यकता के लिए संरक्षित रखा जाए.

छ) **अनुदान जारी करना:** अनुदान, प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी किया जाएगा. बैंक द्वारा अपने दावे नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किए जा सकते हैं. बैंक द्वारा, इकाई/ प्रणाली की स्थापना के पश्चात् एकमुश्त लागत हेतु सहायता के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है.

भवदीय,

eSign
Signed by: CHOALLA UDAYABHASKAR
Organization Unit: CHIEF GENERAL MANAGER
Organization Name: THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Date: 17-May-2024 (04:33 PM)

अनुबंध I

प्रस्ताव का प्रारूप

(बैंक के पत्र शीर्ष पर)

मुख्य महाप्रबंधक
नाबार्ड
………….. क्षेत्रीय कार्यालय

महोदया/ प्रिय महोदय,

ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के तहत सहायता- एचटीएस-वीसैट, डुअल एलटीई और एसडी वैन प्रौद्योगिकियां.

कृपया पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों के राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और टियर 5/ टियर 6 केंद्रों में एचटीएस-वीसैट, डुअल एलटीई और एसडी-वैन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एफआईएफ से सहायता प्रदान करने के संबंध में नाबार्ड द्वारा जारी दिनांक 17 मई 2024 के परिपत्र सं. 97/डीएफ़आईबीटी-02/2024 का अवलोकन करें.

इस संबंध में हमने ____________ राज्य में एचटीएस-वीसैट/ एसडी-वैन/ डुअल एलटीई अपनाने के लिए एफआईएफ से सहायता के लिए नाबार्ड से संपर्क किया है.

एफआईएफ के तहत मांगी जा रही सहायता
निम्नलिखित मॉडल के लिए एफआईएफ से सहायता मांगी जा रही है:

क्र.सं.	**योजना का नाम (मॉडल I/II/III/IV)**	**एसएफडी # के लिए इकाइयों की संख्या**	**अन्य के लिए इकाइयों की संख्या***	**इकाई दर (₹)**	**कुल वित्तीय परिव्यय (₹)**	**सहायता के लिए पात्र राशि**	**अभ्युक्तियां**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च=घ x ङ)**	**(छ)**	

#एसएफडी (डीएफआबीटी के दिनांक 31 जनवरी 2023 के परिपत्र सं. 09/ डीएफआईबीटी-01/2023 के अनुसार विशेष फ़ोकस जिला)

हम इसके साथ निम्नलिखित संलग्न कर रहे हैं:

i. अनुलग्नक I-A में एक सूची, जिसमें उन शाखाओं के नाम और पते दिए गए हैं जहां हम एसडी वैन/ डुअल एलटीई के साथ संयोजन में एचटीएस वीसैट/ एचटीएस-वीसैट स्थापित करने के इच्छुक हैं.
ii. शाखा की कनेक्टिविटी की स्थिति के संबंध में अनुबंध I-आ में बैंक के तकनीकी अधिकारी से प्रमाण-पत्र.

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया नाबार्ड से अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करें.

भवदीय

प्राधिकृत अधिकारी
पदनाम

संलग्न: यथोक्त

[बैंक का नाम एवं मुहर]

अनुबंध I अ

1. उस शाखा का विवरण जिसके लिए सहायता मांगी गई है

क्रम सं.	राज्य	जिला	क्या जिला एसएफडी है	खंड	शाखा का नाम, पता और आईएफएससी	एचटीएस-वीसैट/ एसडी-वैन/ डुअल एलटीई के लिए सहायता	उपकरण विवरण सौर ऊर्जा संचालित/ विद्युत संचालित
कुल							

#एसएफडी (डीएफआबीटी के दिनांक 31 जनवरी 2023 के परिपत्र सं. 09/ डीएफआईबीटी-01/2023 के अनुसार विशेष फ़ोकस जिला)

2. मांगे गए समर्थन का सारांश

I	एचटीएस-वीसैट, एसडी-वैन/ डुअल एलटीईई के संयोजन में	
II	केवल एचटीएस वीसैट	
III	केवल 4जी डुअल एलटीईई	
IV	केवल एसडी वैन	

[बैंक का नाम एवं मुहर]

अनुबंध I आ

(बैंक के तकनीकी अधिकारी द्वारा बैंक के पत्र शीर्ष पर)

मुख्य महाप्रबंधक
नाबार्ड
…………..क्षेत्रीय कार्यालय

महोदया/ प्रिय महोदय

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसके साथ संलग्न अनुबंध में सूचीबद्ध बैंक की शाखाएं खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं. इन स्थानों पर विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाए रखने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो बैंक शाखाओं की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है.

[हस्ताक्षर]

[तकनीकी अधिकारी का नाम]
[पदनाम: तकनीकी अधिकारी]
[बैंक का नाम एवं मुहर]

अनुबंध II

दावा प्रारूप

(बैंक के पत्र शीर्ष पर)

मुख्य महाप्रबंधक
नाबार्ड
…………..क्षेत्रीय कार्यालय

महोदया/ प्रिय महोदय

ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के तहत सहायता - एचटीएस-वीसैट, डुअल एलटीई और एसडी वैन प्रौद्योगिकियां.

कृपया दिनांक ________ के मंजूरी पत्र सं. ___________ का अवलोकन करें जिसके माध्यम से **₹**__________ (रुपये ________________ मात्र) की राशि मंजूर की गई थी. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया निम्नलिखित योजना/ योजनाओं के समक्ष **₹**________ (रुपये ____________________ मात्र) की राशि की प्रतिपूर्ति करें.

क्रसं	**मॉडल का नाम**	**एसएफडी# के लिए इकाइयों की संख्या**	**अन्य जिलों के लिए इकाइयों की संख्या**	**इकाई लागत (₹)**	**कुल व्यय (₹) (आईटीसी को छोड़कर)@**	**दावा की गई राशि (पात्रता के अनुसार) (₹)**	**अभ्युक्तियां**
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च=घ x ङ-आईटीसी)**	**(छ)**	**(ज)**

#एसएफडी (डीएफआबीटी के दिनांक 31 जनवरी 2023 के परिपत्र सं. 09/ डीएफआईबीटी-01/2023 के अनुसार विशेष फ़ोकस जिला); @आईटीसी (निविष्टि कर जमा)

2. संदर्भाधीन मंजूरी पत्र के नियम और शर्तों को हम स्वीकार करते हैं / हमने, अपने दिनांक ________ के पत्र सं. _____________ द्वारा स्वीकार किया है और उनका पालन किया गया है. मंजूरी पत्र में निर्धारित प्रारूप के अनुसार दावे के विवरण अनुबंध ______ में संलग्न हैं.

3. हमने परियोजना कार्यान्वित की है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए हैं:

प्रत्येक परियोजना के लिए शाखावार स्थान विवरण अनुबंध II अ में उल्लिखित हैं.

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम :
पदनाम :
पता और संपर्क नंबर :

अनुबंध II अ

बैंक शाखा का विवरण जहां उपकरण स्थापित हैं

क्रमांक	**राज्य**	**ज़िला**	**क्या जिला एसएफडी है? #**	**खंड**	**शाखा का नाम, पता और आईएफएससी**	**एचटीएस-वीसैट/ एसडी-वैन/ डुअल एलटीई के लिए सहायता**	**उपकरण विवरण सौर ऊर्जा संचालित/ विद्युत संचालित**
कुल							

#एसएफडी (डीएफआबीटी के दिनांक 31 जनवरी 2023 के परिपत्र सं. 09/ डीएफआईबीटी-01/2023 के अनुसार विशेष फ़ोकस जिला)

[बैंक का नाम एवं मुहर]

अनुबंध III

परियोजना पूर्ति रिपोर्ट

1. परियोजना का सारांश

1	परियोजना का शीर्षक	
2	योजना का नाम	
3	कार्यान्वयन का क्षेत्र	राज्य और जिले : ______________ खंड : ______________ कवर किए गए ग्रामों की सं. ______
4	निम्नलिखित की संख्या क) आकांक्षी जिले ख) अन्य एसएफडी	
5	सेवा प्रदाता का नाम	
7	परियोजना मंजूरी (मंजूरी की तारीख)	DD/MM/YYYY
8	परियोजना की शुरुआत (प्रथम संवितरण की तिथि)	DD/MM/YYYY
9	परियोजना पूर्ण होने की तिथि (अंतिम संवितरण की तिथि)	DD/MM/YYYY
10	परियोजना के विस्तार की तिथि (यदि कोई हो तो)	

I. वित्तीय और भौतिक विवरण

S. No.	**Particulars**	
1	स्वीकृत अनुदान (₹ लाख)	

2	स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	
3	जारी अनुदान (₹ लाख)	
4	लगाई गई इकाइयां (संख्या) (कृपया प्रत्येक इकाई का विवरण अनुबंध IV अ में बताएं)	
5	किया गया कुल व्यय (₹ लाख)	

III परियोजना का प्रभाव (संक्षेप में)

(यदि परियोजना के लिए लागू नहीं है तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

लेनदेनों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, मासिक	
हस्तक्षेप के कारण मासिक डाउनटाइम में प्रतिशत कमी	
हस्तक्षेप से उत्पन्न प्रभाव पर बैंक की टिप्पणियाँ	
परियोजना के कार्यान्वयन में सामने आईं बाधाएँ (यदि कोई हो तो)	
परियोजना से संबंधित 2-3 अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें (भौतिक और सॉफ्ट कॉपी में)	

[बैंक का नाम एवं मुहर]

अनुबंध III अ

उपकरण संस्थापना के विवरण

क्रमांक	राज्य	ज़िला	जिले की श्रेणी आकांक्षी/ अन्य एसएफडी/ अन्य	खंड	शाखा का नाम, पता और आईएफएससी	एचटीएस-वीसैट/ एसडी-वैन/ डुअल एलटीई / एसडी-वैन के लिए सहायता	उपकरण विवरण सौर ऊर्जा संचालित/ विद्युत संचालित	विक्रेता का नाम	खर्च की लागत (₹)	नाबार्ड से सहायता (₹)	औसत इंटरनेट स्पीड
Total											

#एसएफडी (डीएफआबीटी के दिनांक 31 जनवरी 2023 के परिपत्र सं. 09/ डीएफआईबीटी-01/2023 के अनुसार विशेष फ़ोकस जिला)

[बैंक का नाम एवं मुहर]